

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5() आ.प्र. एवं स.आ./ चारा/2019/0173-81

जयपुर, दिनांक 3/10/19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली,
चूरू एवं नागौर।

विषय- खरीफ सम्वत् 2075 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों एवं
अभावग्रस्त क्षेत्रों में करवाये गये आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिलों की
ऑनलाइन डिमाण्ड प्रेषित किये जाने बाबत।

प्रसंग- इस विभाग का पत्र क्रमांक 6423-33 दिनांक 20.8.19

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सम्वत् 2075 में संचालित समस्त पशु
संरक्षण गतिविधियों एवं आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिलों की ऑनलाइन मांग प्रस्तुत कर,
भुगतान प्रक्रिया दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सम्वत् 2075 में संचालित समस्त पशु संरक्षण
गतिविधियों एवं आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिलों की ऑनलाइन मांग प्रस्तुत कर, भुगतान
प्रक्रिया दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस तिथि के पश्चात् किसी
भी दायित्व का भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार
होंगे।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था संचालकों/एजेन्सियों एवं जिले के समस्त अधिकारियों को
पालना सुनिश्चित करने हेतु आपके स्तर से आवश्यक रूप से सूचित किया जावे।

दिनांक 30/9/19
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन सहायता
एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं.
0141-2227230 ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in, www.dmrelief.rajasthan.gov.in/

cattle camp samvat 2075